न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)
वाद सं० : 37 सन 2021
अनवान :–

1. फुलेखां पुत्र गनीखां जाति मुसलमान निवासी भरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956
उपस्थित :– श्री हवासिंह पुनिया अधिवक्ता प्रार्थी
निर्णय दिनांक :– 24/01/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा चक 8 बारानी के खाता संख्या 83/3 की कुल 12.6500हैक भूमि में से 1/10 हिस्सा भूमि का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण सफिया उर्फ शरीफखां पुत्र गनीखां दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का सही नाम फुलेखां पुत्र गनीखां है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है प्रार्थी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटो पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड , राशनकार्ड आदि सभी में प्रार्थी का नाम फुलेखा पुत्र गनीखां दर्ज है राहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 8 बारानी के खाता संख्या 83/3 की कुल 12.6500हैक भूमि में से 1/10 हिस्सा भूमि में प्रार्थी का नाम सफिया उर्फ शरीफखां पुत्र गनीखा के स्थान पर फुलेखां पुत्र गनीखां संशोधन करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है ।

वकील प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 8 बारानी के खाता संख्या 83/3 की कुल 12.6500हैक भूमि में से 1/10 हिस्सा भूमि का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण सफिया उर्फ शरीफखां पुत्र गनीखां दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का सही नाम फुलेखां पुत्र गनीखां है यही नाम

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है प्रार्थी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड , राशनकार्ड आदि सभी में प्रार्थी का नाम फुलेखा पुत्र गनीखां दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थी ने रोही मौजा चक 8 बारानी के खाता संख्या 83/3 की कुल 12.6500हैक्ट भूमि में से 1/10 हिस्सा भूमि का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है भूमि सायल का खातेदार काश्तकार है जिसमें प्रार्थी का नाम सफिया उर्फ शरीफखां पुत्र गनीखा दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि उसका सही नाम फुलेखा पुत्र गनीखां है यही नाम अन्य दस्तावेजात में भी दर्ज है

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड राशन कार्ड अदि सभी में प्रार्थी का नाम फुलेखां पुत्र गनीखां दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है प्रार्थी ने अपने नाम के सम्बध में स्वय का शपथ पत्र एवं ग्राम पचायत की तस्दीक पेश की गई है इसलिये प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नही है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों /शपथ पत्र /सरपंच ग्राम पंचायत की तस्दीक एवं पेरोकार की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा चक 8 बारानी के खाता संख्या 83/3 की कुल 12.6500हैक्ट भूमि में से 1/10 हिस्सा भूमि में प्रार्थी का नाम सफिया उर्फ शरीफखां पुत्र गनीखां के स्थान पर फुलेखां उर्फ सफिया उर्फ शरीफखां पुत्र गनीखां संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक25|1|22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बरारे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नोहर

क्रमांक : राजस्व / रीडर / 2020 / दिनांक :-

तहसीलदार राजस्व

नोहर ।

विषय :- प्रकरण संख्या 37 / 2021 अनवानी फुलेखां बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बध मे।

प्रसंग :- अनवान :-

1. फुलेखा पुत्र गनीखां जाति मुसलमान निवासी गरवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 37 / 2021 अनवानी फुलेखां बनाम सरकार में दिनांक 24/1/2022 को निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 8 दारानी के खाता संख्या 83 / 3 की कुल 12.6500हैक भूमि में से 1 / 10 हिस्सा भूमि में प्रार्थी का नाम सफिया उर्फ शरीफखां पुत्र गनीखां के स्थान पर फुलेखां उर्फ सफिया उर्फ शरीफखां पुत्र गनीखां संशोधन किये जाने आदेश पारित किये गये है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner